न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मु0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
126 / 2022	02.09.2022	27.01.2023

पीठासीन अधिकारी—हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1— मेवा बाई बेवा प्रेमचन्द जी जाति गूर्जर निवासी कोटसुंवा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से — श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से — श्री तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादनी की ओर से निम्न आधारो पर यह वाद पत्र पेश किया है कि:—

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाता नं0 20 नया, पुराना 18 पर खसरा नम्बर 1653 की 1.29 हेक्टर , खसरा नम्बर 1658 की 1.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 722 की 0.04 हेक्टर , कुल तीन किता की 2.60 हे0 भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी सहखातेदार दर्ज है।

यह कि पूर्व में उपरोक्त भूमि वादनी के पति प्रेमचन्द जी के खाते दर्ज थी, उनकी मृत्यु उपरान्त वादनी , उसके पुत्र पुत्रियों के नाम दर्ज हुई। जिसमें वादनी का नाम जमाबन्दी सम्वत 2067—70 की में सहवन से मावा बाई , सम्वत 2071—74 में भरवा बाई व सम्वत 2075 —78 में भरवा बाई गलत दर्ज हो गया है। जब कि वादनी का नाम मेवा बाई है। तथा वादनी के अन्य दस्तावेजों भी मेवा बाई दर्ज है इस कारण राजस्व रिकार्ड में भरवा बाई के स्थान पर मेवा बाई दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:—

1— कि ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाता नं0 20 नया, पुराना 18 पर खसरा नम्बर 1653 की 1.29 हेक्टर , खसरा नम्बर 1658 की 1.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 722 की 0.04 हेक्टर , कुल तीन किता की 2.60 हे0 भूमि जमाबन्दी सम्वत 2067—70 की में सहवन से मावा बाई , सम्वत 2071—74 में भरवा बाई व सम्वत 2075 —78 में भरवा बाई के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मावा बाई, भरवा बाई के स्थान पर मेवा बाई दर्ज किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2— कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाई जावे।

वादनी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये:—

1– नकल जमाबन्दी ग्राम कोटसुंवा
2– आधार कार्ड की छाया प्रति
3– ग्राम पंचायत दीगोद का प्रमाण पत्र
5– शपथ पत्र मेवा बाई

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद मय पटवारी हल्का रिपोर्ट के साथ जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में मावा बाई, भरखा बाई व मेवा बाई एक ही महिला होना प्रकट किया गया है एवं वादनी का नाम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, जवाब सरकार, राजस्व रिकार्ड के गहन अवलोकन करने पर वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समस्त दस्तावेजात से वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः ग्राम कोटसुवां तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाता नं0 20 नया, पुराना 18 पर खसरा नम्बर 1653 की 1.29 हेक्टर , खसरा नम्बर 1658 की 1.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 722 की 0.04 हेक्टर , कुल तीन किता की 2.60 हे0 भूमि जमाबन्दी सम्वत 2067–70 की में सहवन से मावा बाई , सम्वत 2071–74 में भरवा बाई व सम्वत 2075 –78 में भरवा बाई के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम मावा बाई, भरवा बाई के स्थान पर मेवा बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद